न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
64/2023	22/06/2023	26/07/2023

1. बाल्या उर्फ बालाराम गुर्जर पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व व कब्जा काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 1 व खाता संख्या पुराना पर खसरा नं0 554 रकबा 2.54 है0 किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम छापौल पटवार हलका बालूपा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित है।

यह कि उक्त कृषि आराजी वादी को दिनांक 28.05.1992 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में श्रीमान छगनलाल जी वर्मा व उनके सदस्य की मौजूदगी में खसरा नं0 554 रकबा 1.60 है0 आवंटित की गई थी। तब से वादी उस पर नियमित काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। आवंटन पत्र संलग्न है।

यह कि वादी उक्त कृषि आराजी की कर्ता पिलाई व तावान की राशि समय–समय पर जमा करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई बकाया राशि नहीं है। फिर भी कोई राशि वादी पर निकलती है तो उसको वादी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जमा करवाने के लिए तत्पर है। रसीद संलग्न है।

यह कि वादी की उक्त भूमि की पटवार मंडल बालूपा द्वारा दिनांक 24.02.2011 को रिपोर्ट की गई थी, जिसमें वादी का ही कब्जा काश्त बताया गया है तथा पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन आदि होना नहीं बताया है

सहायक कलेक्टर – कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

तथा किसी जनउपयोगी कार्य हेतु आरक्षित भी की हुई नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि पूर्णतया स्वतंत्र है तथा वादी ही पूर्व रूप से आवंटन दिनांक से आज तक वर्तमान में काबिज काश्त है।

यह कि वादी उक्त भूमि पर दिनांक 28.05.1992 से नियमित काबिज काश्त है एवं वर्तमान में भी मौके पर काबिज है तथा नियमित कर्ता पिलाई व तावान इत्यादि की राशि समय–समय पर जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए वादी उक्त भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

यह कि वादी की उक्त कृषि आराजी को प्रतिवादी को बार–बार खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन करने के पश्चात भी खातेदारी में दर्ज नहीं करने पर दिनांक 02.06.2023 को वाद कारण उत्पन्न हुआ इसलिए यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

यह कि प्रतिवादी लैण्ड होल्डर होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी को दिनांक 28.051992 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। वादी द्वारा मूल आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की तथा साथ ही प्रार्थी का नाम गैर खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण आवंटित भूमि पर 91 एल0आर0एक्ट के तहत भरे गए जुर्माने की रसीदें पेश की, साथ ही आवंटन रजिस्टर में दर्ज आवंटन राशि 2812/रुपए की जमा रसीद पेश की। वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया। वर्तमान में राज्य सरकार के पत्र अधिसूचना राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग क्रमांक प. 3(23) उप0/2020–1 दिनांक 31.03.2023 से ब्याज–पैनल्टी में छूट चल रही है इसलिए जमा पर्ची मूल आवंटन राशि जितनी जमा कराया जाना जाहिर किया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों को स्वीकार करते हुए ग्राम छापोल पटवार हलका बालूपा आराजी ख0न0 554

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

रकबा 2.54 है0 किस्म बारानी द्वितीय खाता सरकार सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन दिनांक 28.05.1992 को ख0नं0 554 रकबा 2.54 है0 में से 1.60 है0 भूमि बाल्या उर्फ बालाराम पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल को आवंटन हुई थी। उक्त आराजी पर आवन्टी का काब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन द्वारा आवन्टी शर्तो की पालना की जा रही है। भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है। वर्तमान में भी आवन्टी काबिज काश्त है ना ही आवंटन निरस्त हुआ है। वर्तमान में किसी भी न्यायालय का वाद–विवाद नहीं है। आवंटन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है।

बहस वादी वकील सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी को वर्ष 1992 में आराजी आवंटित हो गई थी वादी तभी से मौके पर काबिज भी है। प्रशासनिक प्रकिया की कमी के कारण वादी गैर खातेदार दर्ज नहीं हो सका जिसका खमियाजा वादी को भुगतने के लिए नहीं कहा जा सकता है। आवंटन के पश्चात् से ही वर्ष 1992 से आज वादी को आराजी पर काबिज हुए 30 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है ऐसी दशा में वादी डीम्ड खातेदार हो चुका है। जवाब सरकार में वाद पत्र का समर्थन किया गया है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम छापोल की खसरा नं0 554 रकबा 2.54 है0 में से 1.60 है0 भूमि बाल्या उर्फ बालाराम पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल के खाते दर्ज की जावे तथा कब्जेनुसार नक्शे में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार तहसीलदार पीपल्दा राजस्व अभिलेख में अंकन करे। डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया वाद फैसल शुमार होकर आज तामिल दाखिल दफतर हो।

अंजना सहारावत
सहायक कलक्टर
इटावा

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, इटावा_जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
64 / 2023	22 / 06 / 2023	26 / 07 / 2023

1. बाल्या उर्फ बालाराम गुर्जर पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम छापोल की खसरा नं0 554 रकबा 2.54 है0 में से 1.60 है0 भूमि बाल्या उर्फ बालाराम पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल के खाते दर्ज की जावे तथा कब्जेनुसार नक्शे में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार तहसीलदार पीपल्दा राजस्व अभिलेख में अंकन करे। डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया वाद फैसल शुमार होकर आज तामिल दाखिल दफतर हो। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से दिनांक 26 / 07 / 2023 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
मेहनताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर इटावा

सहायक कलेक्टर एवं अधिशासी मजि.
इटावा जिला कोटा